





रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान् जार्जी अहमद का पुत्र कुन्दापुरा के खान 18 खण्ड 514/168  
नं. 2 कीया में जार्जी द्वारा प्राप्त साक्ष्य तथा आधार कार्ड (2344580 258  
राशनकार्ड (0338) EPIC (NS/23) 175 343511) अंतर्गत जार्जी का तहसील  
अहमद पुत्र अब्दुल्ला रिजे आर्क उचित है

  
14.5.18  
क.संका

  
14.5.18


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

534. पटवारी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार श्रीमान् जार्जी अहमद का पुत्र  
अबुल्ला का राशन कार्ड प्राप्त किया जा चुका है और 2012-15  
तक का 150 रु. अहमद पुत्र अबुल्ला का राशन कार्ड जारी  
कर दिया गया है। अहमद पुत्र अबुल्ला का राशन कार्ड जारी  
कर दिया गया है।

14.5.18  
आदेश  
तहसीलदार (भू.अ.) खंडवा

तहसीलदार खंडवा, TLR खंडवा, पटवारी खंडवा से प्राप्त रिपोर्ट  
एवं जार्जी से प्राप्त जार्जना पत्र के साथ पेशदस्तावेज के आधार पर  
जार्जी का जार्जना पत्र स्वीकार कर जार्जी का नाम "अहमद पुत्र अबुल्ला"  
के स्थान पर अहमद पुत्र अबुल्ला कुन्दापुरा के नाम का अंश दिया  
जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराभद कर के  
तहसीलदार खंडवा को अंश दिया जाता है। पत्रावली के साथ  
सर्वेक्षण कार्ड दाखिल है।



उप खण्ड अधिकारी  
  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन